रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032025-262069
CG-DL-E-28032025-262069

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1492] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2025/चैत्र 7, 1947
No. 1492] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2025/CHAITRA 7, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2025

का.आ.1510(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, 'कर्नाटक शहरी जलापूर्ति और जल निकासी बोर्ड, बैंगलोर' (पैन AAATK5837F), राज्य सरकार द्वारा गठित एक ट्रस्ट को, उस ट्रस्ट को उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात:-

(क) कर्नाटक शहरी जलापूर्ति और जल निकासी बोर्ड अधिनियम, 1973 (कर्नाटक अधिनियम संख्या, 1974 का 25) के अनुसार स्थापना, प्रशासनिक, पर्यवेक्षण, जल शुल्क और संग्रहित किराया;

(ख) कर्नाटक शहरी जलापूर्ति और जल निकासी बोर्ड अधिनियम, 1973 (कर्नाटक अधिनियम संख्या, 1974 का 25) के अनुसार बयाना राशि की जब्ती;

(ग) कर्नाटक शहरी जलापूर्ति और जल निकासी बोर्ड अधिनियम, 1973 (कर्नाटक अधिनियम संख्या, 1974 का 25) के अनुसार शास्ति (जुर्माने सहित), स्क्रैप की बिक्री, भंडारण शुल्क, निविदा प्रपत्र जारी करना और सर्वेक्षण शुल्क; और

(घ) बैंक जमा पर ब्याज;

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'कर्नाटक शहरी जलापूर्ति और जल निकासी बोर्ड, बैंगलोर'–

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना क्रमशः वित्तीय वर्षों 2023-24 से 2027-28 के लिए संगत निर्धारण वर्षों 2024-25 से 2028-29 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 24/2025 फा./सं. 300196/61/2024-आईटीए-I]

अश्वनी कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2025

S.O. 1510(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Karnataka Urban Water Supply & Drainage Board, Bangalore (PAN AAATK5837F), a trust established by the State Government, in respect of the following specified income arising to that trust, namely:-

(a) Establishment, administrative, supervision, water charges and rent collected as per the Karnataka Urban Water Supply and Drainage Board Act, 1973 (Karnataka Act No. 25 of 1974);

(b) Forfeiture of earnest money deposit as per the Karnataka Urban Water Supply and Drainage Board Act, 1973 (Karnataka Act No. 25 of 1974);

(c) Penalty(with fine), Sale of Scrap, Storage charges, Issue of Tender Forms and Survey charges as per the Karnataka Urban Water Supply and Drainage Board Act, 1973 (Karnataka Act No. 25 of 1974)

(d) Interest earned on bank deposits;

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Karnataka Urban Water Supply & Drainage Board, Bangalore-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be applicable with respect to the assessment years 2024-2025 to 2028-2029 relevant for financial years 2023-2024 to 2027-2028 respectively.

[Notification No. 24 /2025/F. No. 300196/61/2024-ITA-I]

ASHWANI KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA